न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 68/2021 GCMS No.—2021/118

मोहनलाल शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा निवासी ग्राम बम्बाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर हाल प्लाट नंबर .....सेक्टर 3 प्रतापनगर सांगानेर, जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान आवासन मण्डल, ज्योति नगर, विधानसभा के पास, जयपुर जरिये उपायुक्त।
3. रामू पुत्र स्व. श्री प्रताप
4. मांगीलाल पुत्र श्री रामेश्वर
5. कैलाश पुत्र स्व. श्री रामेश्वर
6. प्रभु पुत्र स्व. श्री रामेश्वर
   समस्त जाति ब्राहम्ण समस्त निवासीयान ग्राम बम्बाला तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. श्रीमति तीजा देवी पुत्री स्व. श्री रामेश्वर पत्नी श्री जगदीश नारायण जाति ब्राहम्ण निवासी कृपारामपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
8. श्रीमति लादी देवी पुत्री स्व. श्री रामेश्वर पत्नी श्री छीतर जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम महापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
9. जगदीश पुत्र स्व. श्री सीताराम जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम बम्बाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
10. श्रीमति मन्नी पुत्री स्व. श्री सीताराम पत्नी श्री जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम भम्भोरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
11. श्रीमति शांति पुत्री स्व. श्री सीताराम पत्नी श्री रामलाल जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम भम्भोरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
12. श्रीमति हरली पुत्री स्व. श्री सीताराम पत्नी श्री कैलाश चन्द जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम बस्सी, तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
13. श्रीमति लाली पुत्री स्व. श्री सीताराम पत्नी श्री रमेश चन्द, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम सुखपुरिया, तह0 सांगानेर, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश न्यायालय आदेश नामान्तकरण संख्या 53 दिनांक 22.02.2008 जो न्यायालय विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर द्वारा प्रकाशित दिनांक 22.08.1983 द्वारा प्रकरण संख्या 10/83/113 के निर्णय की पालना में दर्ज मु.आदेश कमांक 2423 दिनांक 20.09.86 के आधार पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा स्वीकृत किया गया, से व्यथित होकर।

उपस्थितः–

1. श्री महेश कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री भागचन्द भारद्वाज अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 07.07.2025

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार सांगानेर के निर्णय 22.02.2008 जिससे नामान्तरकरण संख्या 53 वाके ग्राम बम्बाला, तहसील सांगाानेर रेस्पाडेन्ट संख्या 2 के नाम स्वीकार किया गया जिससे असंतुष्ट होकर अपील दिनांक 12.10.2021 को न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

रेस्पाडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भागचन्द भारद्वाज उपस्थित आये। रेस्पा0 संख्या 3 लगायत 13 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश शर्मा उपस्थित आये। जिला कलक्टर (भूअ.) जयपुर से मूल नामान्तकरण की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट के पिता स्व0 सीताराम का देहान्त हो चुका है एवं अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित भूमि में दर हिस्सा 1/3 दर्ज रिकॉर्ड रहा है एवं जीवनभर अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त रहे तथा उनके देहान्त के पश्चात उनके हिस्से की अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट एवं रेस्पा0 संख्या 9 निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है। न्यायालय विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 10/83/113 के निर्णय आदेश कमांक 2423 दिनांक 20.09.1986 में साबिक खसरा नंबर 215 रकबा 14 बिस्वा एवं खसरा नंबर 216 रकबा 2 बिस्वा हाल खसरा नंबर 105, 106 को अवाप्त नहीं किया गया। जिसके बावजूद तहसीलदार सांगानेर द्वारा आवासन मण्डल के नाम खसरा नंबर 215, 216 का भी नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गयी है। अपीलांट द्वारा खसरा नंबर 215, 216 की भूमि बाबत कोई मुआवजा प्राप्त नहीं किया गया है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तकरण खसरा नंबर 215, 216 हाल खसरा नंबर 105, 106 वाके ग्राम बम्बाला, तहसील सांगानेर की हद निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा अपीलांट के पिता स्व. सीताराम की मृत्यु पश्चात पटवारी हल्का से विरासत का नामान्तकरण खुलवाने बाबत संपर्क किया तो अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तकरण के बारे में दिनांक 22.03.2020 को जानकारी हुई। अपीलांट द्वारा प्रकरण में आवासन मण्डल को नोटिस दिया गया जिसके जवाब में आवासन मण्डल द्वारा नामान्तकरण को निरस्त करवाने हेतु राजस्व न्यायालय में अपील दायर कर नामान्तकरण निरस्त करवाने बाबत उल्लेखित किया गया। जिसके पश्चात अपीलांट ने अविलम्ब माननीय न्यायालय में अपील पेश की गयी है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर तहसीलदार सांगानेर का आदेश बाबत नामान्तकरण संख्या 53 दिनांक 22.02.2008 वाके ग्राम बम्बाला, तहसील सांगानेर खसरा नंबर 105, 106 की हद तक निरस्त फरमाया जावे।

विद्धान अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट ने गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है। अपीलाधीन नामान्तकरण आवासन मण्डल के अवाप्ति आदेश की पालना में तस्दीक किया गया है इसलिए नामान्तकरण को चुनौती दिये जाने का विधिक अधिकार अपीलांट को नहीं है। आवासन मण्डल द्वारा खसरा नंबर 215 की अवाप्ति आदेश न्यायालय में पेश किया गया है जिससे स्पष्ट है कि खसरा नंबर 215 वाके ग्राम बम्बाला, तहसील सांगानेर की भूमि आवासन मण्डल

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

द्वारा अवाप्त की जा चुकी है। अपीलांट द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर अपील पेश की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण आवासन मण्डल के अवाप्ति आदेश के आधार पर तस्दीक किया गया है जिसमें कोई त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गयी है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अपीलाधीन नामान्तकरण के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 53 पटवारी हल्का द्वारा न्यायालय विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा प्रकाशित राजपत्र प्रकाशन दिनांक 22.08.1983 एवं कब्जा प्राप्ति दिनांक 11.06.1984 वाद संख्या 10/83/113 के निर्णय की पालना में आदेश दिनांक 2423 दिनांक 20.09.1986 की पालना में दर्ज किया गया। जिसके आधार पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा दिनांक 22.02.2008 को नामान्तकरण संख्या 53 रेस्पाडेन्ट्स संख्या 2 आवासन मण्डल के हक में स्वीकार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं आवासन मण्डल अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अवाप्ति आदेश कमांक/ओएसडी/नविआ/91/1700 दिनांक 30.05.1991 के अवलोकन से जाहिर है कि खसरा नंबर 215 ग्राम बम्बाला तहसील सांगानेर की भूमि को अवाप्त किया जा चुका है। इसलिए प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपील में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्य उचित प्रतीत नहीं होते है। आवासन मण्डल द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में तहसीलदार सांगानेर द्वारा तस्दीक किये गये अपीलाधीन नामान्तकरण में किसी प्रकार को संशोधन किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तकरण लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर